an>

Title: Need to withdraw fee hike for all classes in Kendriya Vidyalayas.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Kendriya Vidyalaya Sangathan has revised the fees. It is more than double the existing one. The findings of the Sangathan are that certain categories of parents are entitled for fee reimbursement. On that ground the Sangathan raised the fees of all students. As per the revised order Kendriya Vidyalaya under project sector are authorized to implement differential fee structure. The pre-revised fee for class XI-XII was as follows: tuition fee - Rs. 400, computer fee - Rs. 100, VVN
Contribution- Rs. 300. Revised fee tuition fee is Rs. 400, computer
fee - Rs. 150, VVN Contribution - Rs. 500. The fee structure in most of the schools in Kerala is as follows: tuition fee - Rs. 900, SSS - Rs. 1500, Computer Fee - Rs. 450. This fee structure clearly shows the huge hike and disparity. The hike in fee structure has caused much difficulty to the students.

Hence, I urge upon the government to withdraw the fee hike immediately.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam Speaker, I have a request to make to the House that yesterday we had taken up the issue of Apprentice Bill and that is going to be taken up for consideration. The Minister for Law has moved a motion for the Constitution Amendment Bill. I request the Chair to permit first this to be taken up because it will require time. We have to go for manual voting. There is a programme in the evening where hon. President of India is coming. So, I request the Chair to permit first the Judicial Commissions Bill and after disposing it, we will take up Labour Apprentice Bill.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदया, एक बिल पैंडिंग है, जो डिस्कशन चल रहा है, उसके लिए हमने तो आपसे रिक्वैस्ट की थी कि उस अप्रेन्टिसशिप बिल को आप स्टैंडिंग कमेटी को भेज दीजिए और अगर आपको यह लेना है तो इसे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे अगर स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया तो वहां पर चर्चा हो जायेगी और वह सैटल हो जायेगा।

दूसरी चीज यह है कि रूल 388 में आप फिर एक बार उन्हें एग्जैम्पशन दे रहे हैं you are permitting them. This is the third time.

माननीय अध्यक्ष : नहीं करना चाहिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : करना चाहिए, लेकिन कितनी बार करना चाहिए, एक बार, दो बार, तीन बार, अगर हमेशा कोई विजन नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है तो फिर हम लोग कैसे उसकी तैयारी करेंगे, हमें भी दिक्कत है।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : ऐसा कोई हमेशा नहीं होता है, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यह तीसरी बार है।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : खड़गे जी, आप बहुत अनुभवी हैं, सरकार में आये हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं आपके जितना अनुभवी नहीं हूं, मैं यहां दूसरी बार आया हूं। फिर भी मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं। क्या यही तरीका है कि एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा हो।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : इसमें ऐसा कोई आपत्तिजनक विषय नहीं है, यह जनता के हित में है, देश के हित में है, इसलिए तो हम लोग इसे ला रहे हैं। आप पहले कह रहे थे कि बिजनेस नहीं है, अब जब बिजनेस लाये हैं तो आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि हम दोनों मिलकर यहां जो कानून लायेंगे, उस कानून को पारित करेंगे। वह देश के हित में होगा, जनता खुश हो जायेगी। इसलिए इसे होने दीजिए, बाद में देखेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप नियम और प्रोसीजर के तहत करो। आपके पास कोई एजेन्डा नहीं है, इसीलिए आप सभी बिल बुलडॉज करेंगे, ग़ह भी ठीक नहीं है।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : हम लोग बुलडॉज करने वाले नहीं है। हमारे पास झंडा भी है और एजेंडा भी है और जनता ने हमें मैनडेट भी दिया है। मेरा कहना यह है कि यह महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया आप इसे पास करने में हमारी मदद कीजिए।

माननीय अध्यक्ष : मैं धन्यवाद देती हूं कि आप सहयोग दे रहे हैं।

Now, we will take up item No. 16A.

-